हिंदी विषय के अध्ययन मंडल की आपात बैठक

आज दिनांक 27.03.2018 को हिंदी विभाग के अध्ययन मंडल की आपात बैठक स्नातक, स्नातकोत्तर तथा पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की समीक्षा हेतु आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे —

1. डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति
अध्यक्ष
सहायक प्राध्यापक, हिंदी
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(हस्ताक्षर) 27.03.2018

2. प्रो. तीर्थेश्वर सिंह
सदस्य
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक मध्यप्रदेश।
(हस्ताक्षर) 27.03.18

3. प्रो. दिनेश कुशवाहा
सदस्य
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष हिन्दी विभाग
अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवां मध्यप्रदेश

4. डॉ. बीना सिंह
सदस्य
सहायक प्राध्यापक, शिक्षा
पण्डित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(हस्ताक्षर) 27.3.18

5. डॉ. रुचि त्रिपाठी
सदस्य
सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान
पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर
Ruchi Tripathi 27-3-18

Dr. Anita Singh
Incharge NAAC Criteria-I
PSSOU, CG Bilaspur

पी.जी. डिप्लोमा पत्रकारिता पाठ्यक्रम हेतु विषय विशेषज्ञ के रूप में माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति से -

डॉ. शाहिद अली
विभागाध्यक्ष, जनसंचार विभाग
कुशाभाऊ ठाकरे जनसंचार एवं पत्रकारिता वि.वि.
रायपुर, (छ.ग.)

27/2018

चर्चा के बिन्दु :-

1. संचालित पाठ्यक्रमों की समीक्षा, परीक्षण एवं अनुमोदन
2. अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से।

Dr. Anita Singh
Incharge NAAC Criteria-I
PSSOU, CG Bilaspur

कार्यवृत्त

बिन्दु क्रमांक 1:

वि. वि. में संचालित पाठ्यक्रमों में बी. ए. हिंदी साहित्य, एम. ए. हिंदी, पी. जी. डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एण्ड मास कम्यूनिकेशन, पी. जी. डिप्लोमा इन ब्राडकास्ट जर्नलिज्म एण्ड न्यू मीडिया -

1.1. बी. ए. हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम यथावत रखा जाए।

1.2. एम. ए. हिंदी के पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करते हुए 'आदि एवं मध्यकालीन काव्य' में इकाई -1 में पृथ्वीराज रासो : चंदबरदाई (संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं नामवर सिंह) से इंछावती व्याह (समय 33) शामिल किया जा सकता है। इसी इकाई में कीर्तिलता (प्र-पल्लव) : विद्यापति के पदावली 30 पद- 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 23, 26, 36, 47, 51, 52, 53, 54, 58, 61, 78, 79, 81, 82, 94, 95, 102, इकाई -1 में ही यह अपेक्षित संशोधन इकाई-2 में निर्गुण काव्य के अंतर्गत कबीर ग्रंथावली (सं. श्यामसुन्दरदास) के साखी : विरह कौ अंग, निहकर्मी पतिव्रता कौ अंग, के क्रमशः 25 व ~~15 साखी~~ पद 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 16, 21, 31, 32, 39, 40, 41, 48, 51, 59, 65, 72, 111, 122, 124, 130, 133, 137. तथा जायसी ग्रंथावली (सं. रामचन्द्र शुक्ल) नखशिख, मानसरोदक, नागमती विरह निर्धारित करके पद्मावत व अनुशंसा. इकाई-4 में रीतिकालीन काव्य के केशवदास की रामचंद्रिका सं. लाला भगवानदीन से 11 वां प्रकाश - छंद सं. 1-41 तक और 12 के प्रकाश छंद 1-50 तक इकाई-4 में बिहारी (सं. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र) दोहा सं. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 13, 14, 19, 20, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 47 = 25 पद घनानंद के घनानंद कवित्त (संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र) के छंद संख्या 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 39, 43, 50 51, 57, 59

Dr. Anita Singh
Incharge NAAC Criteria-I
PSSOU, CG Bilaspur

66, 68, 70, 71, 82, 84, 86, 87, 94, 97 = 23 पद हेतु
इकाई-3 के अन्तर्गत सार: सूरदास (सं. रामचंद्र शुक्ल
के 50 पद 2, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28,
29, 34, 38, 41, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, रामचरित मानस
तुलसीदास (गीता प्रेस) से बाल कांड दोहा सं. 43 तक) अयोध्या
कांड दोहा सं. 272 - 292 तक, उत्तरकांड दोहा सं. 103-130 तक
मीरा का काव्य विश्वनाथ त्रिपाठी, वाणी प्रकाशन के 15 पद
हेतु अनुशंसा।

⇒ आधुनिक काव्य - इकाई-2 में माखन लाल चतुर्वेदी के
सुमनों के प्रति, हरिवंशराय बच्चन के मधुशाला जोड़ने की
अनुशंसा।

⇒ ~~प्रश्न~~ प्रश्न पत्र : नाटक और कथेतर गद्य में इकाई दो
में जगदीश चन्द्र माथुर कृत नाटक कोणार्क शामिल
करने हेतु सहमति

⇒ अन्य संशोधन की प्रति संलग्न है।

उपर्युक्त पाठ्य क्रम समीक्षा, परीक्षण पश्चात अनुशंसित
किया गया।

⇒ संशोधित स्नातकोत्तर हिंदी पाठ्यक्रम सत्र 2019 से लागू किया जाए।

1.3. पी.जी. डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (पत्रकारिता एवं जन संचार) कतिपय संशोधन के साथ सह-~~अनुमोदित~~ अनुशंसित किया गया।

1.4. पत्रकारिता / जनसंचार में बी.ए. (तीन वर्ष) तथा एम.ए. (दो वर्ष) पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की अनुशंसा की गई। आगामी बैठक में संबंधित पाठ्यक्रम निर्माण कर प्रस्तुत किया जाने पर पाठ्य सामग्री पर विचार किया जा सकता है।

1.5. पी. जी. डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (एक वर्ष) की अनुशंसा।

1.6. पी. जी. डिप्लोमा इन हिंदी पत्रकारिता (एक वर्ष) की अनुशंसा।

Rudi Tripathi 27-3-18

Shalini 27/3/18
(डा. शालिनी ...)

27.3.18

27.03.18
प्रो० ...सिंह

... Singh 27.03.2018

Dr. Anita Singh
Incharge NAAC Criteria-I
PSSOU CG Bilaspur

हिंदी विषय के अध्ययन मंडल की बैठक

आज दिनांक 06/03/2020 को हिंदी विभाग के अध्ययन मंडल की बैठक दिन शुक्रवार अपराह्न 3:00 बजे सभाकक्ष प्रशासनिक भवन में आयोजित की गई। इस बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित रहे —

1. डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति
   अध्यक्ष
   सहायक प्राध्यापक, हिंदी
   पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) वि. वि. छत्तीसगढ़
   06/03/2020

2. डॉ. तीर्थेश्वर सिंह
   सदस्य
   विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग
   इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय वि. वि., अमरकंटक (म.प्र.)
   06.03.2020

3. डॉ. बीना सिंह
   सदस्य
   विभागाध्यक्ष, शिक्षा-विभाग
   पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) वि. वि. छत्तीसगढ़
   6.03.2020

4. श्री संजीव कुमार भवानियाँ
   सदस्य
   विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र
   पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) वि. वि. छत्तीसगढ़

चर्चा के बिंदु ! —

1. वि. वि. में संचालित एम० ए० हिंदी संशोधित पाठ्यक्रम लागू किया जाना।
2. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय।

Dr. Anita Singh
Incharge NAAC Criteria-I
PSSOU, CG Bilaspur

कार्यवृत्त

प्रस्तावित चर्चा के बिन्दु क्रमांक -1 पर चर्चा करते हुए सर्वसहमति से यह निर्णय लिया गया कि—

1. विश्वविद्यालय में संचालित एम० ए० हिंदी (संशोधित पाठ्यक्रम) को स्व-अध्ययन सामग्री निर्माण पश्चात 2021-22 में लागू करने की अनुशंसा की गई।

06/03/2020

06-03-2020

6-03-2020

Dr. Anita Singh
Incharge NAAC Criteria-I
PSSOU, CG Bilaspur

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी–बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्र 113 /अका./वि.प./बैठक/2020, बिलासपुर, दिनांक 27/06/2019

//अधिसूचना//

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के विद्या परिषद् की 31 वीं आपात बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 25/06/2020, दिन गुरूवार पूर्वान्ह 03:00 बजे विश्वविद्यालय के 'सिरपुर प्रशासनिक भवन' के कुलपति कक्ष मे आयोजित हुई।

बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही :–

1.	डॉ. बंश गोपाल सिंह कुलपति पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ बिलासपुर	–	अध्यक्ष
2.	डॉ. बी.एल. गोयल क्षेत्रीय निदेशक पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ, बिलासपुर	–	सदस्य
3.	प्रो. मनीष श्रीवास्तव, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,बिलासपुर (विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित)	–	सदस्य
4.	प्रो. मीता झा, (विडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा उपस्थिति) पण्डित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित)	–	सदस्य
5.	डॉ. अनिता सिंह, अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, शिक्षा विभाग पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ, बिलासपुर	–	सदस्य
6.	श्री संजीव कुमार लवानिया अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, समाजशास्त्र पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ, बिलासपुर	–	सदस्य
7.	डॉ. एस. रूपेन्द्र राव अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोविज्ञान विभाग पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ, बिलासपुर	–	सदस्य

8. श्री रेशमलाल प्रधान — सदस्य
अध्यक्ष, अध्ययन मंडल कम्प्यूटर साइंस
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ, बिलासपुर

9. डॉ. इंदु अनंत — सचिव
कुलसचिव
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

<u>निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके –</u>

1. आयुक्त — सदस्य
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर (छ.ग.)

2. प्रो. एल.पी. पटैरिया, — सदस्य
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,बिलासपुर
(विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा नामांकित)

3. संचालक — सदस्य
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी,
रायपुर (छ.ग.)

4. डॉ. व्ही.व्ही. रेड्डी — सदस्य
कुलसचिव (SED),
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली
(कुलपति इग्नू द्वारा नामांकित)

अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् सचिव के द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्नानुसार प्रस्ताव विचार हेतु रख कर निर्णय लिया गया–

प्रस्ताव क्र. 01– **विश्वविद्यालय विद्या परिषद की 30 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन एवम् पालन प्रतिवेदन पर विचार।**

निर्णय – कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्र. 02– **समतुल्य पाठ्यक्रमों में Lateral entry प्रावधान संबंधी नियम का अनुमोदन पर विचार।**

निर्णय – निम्न संशोधन के पश्चात् प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

1. इसे अध्यादेश मे सम्मिलित किया जाए।
2. ड्राफ्ट के बिन्दु क्रमांक 7 मे संशोधन के साथ 'Equivalance Committee' की अनुशंसा पर 'Compitant Authority' जारी करेंगी लिखा जाए।
3. ड्राफ्ट में बिन्दु क्रमांक 9 को विलोपित किया जाए।

प्रस्ताव क्र. 03– कोविड–19 के संदर्भ में अध्यादेश क्रमांक 1 के भाग C-1:10A संशोधन के अनुरूप अंक योजना में प्रस्तावित परिवर्तन पर विचार।

निर्णय – अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्र. 04– विभिन्न विषयों के अध्ययन मण्डलों के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – दिनांक 06/03/2020 को आयोजित अध्ययन मंडल की संयुक्त बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 02 के लिए यू.जी.सी. से पत्र लिखकर अनुमति लिया जाए। इसी प्रकार दिनांक 06/03/2020 को आयोजित विधि विभाग के अध्ययन मंडल की बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 3 LLM पाठ्यक्रम को पुनः प्रारम्भ करने हेतु की गई अनुशंसा पर विचार कर निर्णय किया गया कि अभी कार्यवाही को स्थगित रखा जाए।

प्रस्ताव क्र. 05– **डॉ. गौरी शर्मा के लघु शोध प्रबंध की मूल्यांकन रिपोर्ट सूचनार्थ।**

निर्णय – सूचना ग्रहण की गई तथा मान्य किया गया।

यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के कार्यशाला/संगोष्ठी/सेमीनार/शोधकार्य अनुदान नियम 2016 के बिन्दु क्रमांक 5 में उल्लेखित "विश्वविद्यालय मे आयोजित ऐसे कार्यशाला/संगोष्ठी/सेमीनार/शोधकार्य इत्यादि के प्रतिवेदन विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् में रखे जायेंगे" के स्थान पर "विश्वविद्यालय में आयोजित ऐसे कार्यशाला/संगोष्ठी/सेमीनार/शोधकार्य इत्यादि के प्रतिवेदन को अनुमोदन के लिए माननीय कुलपति जी को प्रस्तुत किया जाएगा एवं विद्यापरिषद् की बैठक होने पर इसकी सूचना वहां भी दी जायेगी।

बैठक के अंत में अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समाप्त की गई।

(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति/अध्यक्ष

(डॉ. इंदु अनंत)
कुलसचिव/सचिव

पृ. क्र. 114 /अका./वि.प./बैठक/2020, बिलासपुर, दिनांक 27/06/2020

प्रतिलिपि –

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. सम्मानीय सदस्यगण –
   - 2.1 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, खण्ड सी–3, नया रायपुर (छ.ग.)
   - 2.2 संचालक, छ.ग. राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर (छ.ग.)

2.3 डॉ. व्ही.व्ही. रेड्डी, कुलसचिव (SED), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।

2.4 प्रो. एल.पी.पटेरिया, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

2.5 प्रो. मनीष श्रीवास्तव, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

2.6 प्रो. मीता झा, मनोविज्ञान विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

2.7 डॉ. बी.एल. गोयल, क्षेत्रीय निदेशक, PSSOU

2.8 डॉ. अनिता सिंह, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विभाग, PSSOU

2.8 श्री संजीव लावनिया, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, PSSOU

2.9 डॉ. एस.रूपेन्द्र राव, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, PSSOU

2.10 श्री रेशमलाल प्रधान, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष कम्प्यूटर साइंस, PSSOU

की ओर सूचनार्थ।

3. निज सचिव कुलपति एवं निज सहायक कुलसचिव को माननीय कुलपति/कुलसचिव के सूचनार्थ।

4. प्रभारी, अकादमी विभाग। कार्यवाही–विवरण की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विद्या परिषद् में लिये गये निर्णयों पर पालन–प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें।

5. नस्ती हेतु।

कुलसचिव

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय

छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)

कार्यवाही–विवरण

कार्यपरिषद् की 94 वीं आपात बैठक

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी–बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्रं. 545 / का.प. / बैठक / 2020 रायपुर, दिनांक 01/07/2020

//अधिसूचना//

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के कार्यपरिषद् की 94 वीं आपात बैठक माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 30/06/2020, दिन मंगलवार, अपरान्ह 03:30 बजे विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र रायपुर में प्रत्यक्ष उपस्थिति तथा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुई।

बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही (क्रमांक 8 एवं 9 के सदस्य विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिए) :–

1. **डॉ. बंश गोपाल सिंह** – अध्यक्ष
कुलपति
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर

2. **श्री एस.एल.नायक** – सदस्य
संयुक्त सचिव
छ.ग.शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
नया रायपुर (छ.ग.)

3. **श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट** – सदस्य
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग
नवा रायपुर (छ.ग.)
(सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा नामांकित)

4. **श्री प्रफुल्ल शर्मा** – सदस्य
चौबे कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.)

5. **श्री उचित सूद** – सदस्य
होटल सेन्ट्रल पॉइन्ट, शिव टॉकिज चौक, बिलासपुर (छ.ग.)

6. **पद्मश्री डॉ.स्वामी जी.सी.डी. भारती उर्फ भारती बंधु** – सदस्य
बूढ़ा तालाब के पास, वीरभद्र नगर, रायपुर (छ.ग.)

7. **डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति** – सदस्य
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग)
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
(कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय शैक्षणिक संकाय से मनोनीत)

8. प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) – सदस्य
आचार्य
मानविकी अध्ययन विभाग
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली
(कुलपति, इग्नू के द्वारा नामांकित)

9. श्री भावेश दुबे (विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से) – सदस्य
संभागीय संयुक्त संचालक
कोष लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर
(सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित)

10. डॉ. इंदु अनंत – सचिव
कुलसचिव
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर

<u>निम्न सदस्य बैठक में प्रत्यक्ष या विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हो सके –</u>

1. श्री एम. डी. दीवान
संयुक्त सचिव – सदस्य
छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग
अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)

2. श्री संतराम नेताम – सदस्य
उपाध्यक्ष
बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
रायपुर

3. उपाध्यक्ष – सदस्य
सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
रायपुर

अध्यक्ष महोदय के द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ हुई। बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

प्रस्ताव क्र. 01 – विद्या परिषद् की 31 वीं बैठक दिनांक 25/06/2020 के कार्यवाही–विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव क्र. 02 – क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के कार्यालय भवन हेतु रायपुर शहर में शासकीय भूमि क्रय संबंधी प्रस्ताव।

निर्णय – क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर के कार्यालय भवन हेतु रायपुर शहर में शासकीय भूमि क्रय संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया एवं यह भी निर्देशित किया गया कि NRDA नवा रायपुर में भी शासकीय भूमि क्रय के लिए प्रयास किया जाए।

प्रस्ताव क्र. 03 – चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान संबंधी – डॉ. बंश गोपाल सिंह, माननीय कुलपति महोदय।

निर्णय – चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में निर्णय लिया गया कि नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण कर वित्ताधिकारी के परीक्षण उपरांत भुगतान की कार्यवाही की जाए।

प्रस्ताव क्र. 04 – कुलसचिव को प्राप्त वित्तीय अधिकार संबंधी।

निर्णय – प्रशासकीय वित्तीय अधिकार मान्य किया गया। कार्यपरिषद् में प्रथम बार मनोनित सदस्यों को स्वीकृत बजट की कॉपी प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। विश्वविद्यालय द्वारा किए जाने वाले भुगतानों की सूचना कार्यपरिषद् के सदस्यों को कार्यपरिषद् की बैठक में दिए जाने का प्रस्ताव दिया गया।

प्रस्ताव क्र. 05 – विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 1 में संशोधन संबंधी।

निर्णय – C.1.10-B के प्रस्तावित प्रावधान में निम्नानुसार जोड़ते हुए संशोधन सहित प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

"तथा विश्वविद्यालय ऐसे विडियो कांन्फ्रेंसिंग की रिकार्डिंग भी करायेगा। पी–एच.डी. के प्रकरण में सभी शिक्षकों एवं शोधार्थियों के लिए ऐसे कॉन्फ्रेंस में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जायेगा।"

प्रस्ताव क्र. 06 – NAAC की तैयारी की दृष्टि से पूर्णकालिक/आकस्मिक आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव।

निर्णय – निर्णय लिया गया कि :

1. नियुक्ति हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए शासन को पुनः पत्र लिखा जाय। स्ववित्तीय आधार पर अनुमति का पत्र लिखा जाय।
2. विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुरूप पूर्णकालिक कन्सल्टेंट के रूप में योग्य शिक्षकों की 6 माह हेतु नितान्त अस्थाई आधार पर विज्ञापन के माध्यम से नियुक्ति की जाय जिसमें शासन के अनुसार नियमों का पालन किया जाय।
3. मासिक मानदेय रूपये 29000/– प्रतिमाह तय किया गया।

प्रस्ताव क्र. 07 – विश्वविद्यालय में स्टूडियो की स्थापना करनें हेतु प्रस्ताव।

निर्णय – विश्वविद्यालय में स्टूडियो की स्थापना करनें हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि स्टुडियो निर्माण के लिए मार्गदर्शक एवं उचित निर्देशन के लिए कार्यपरिषद् सदस्यों की तीन सदस्यीय समिति बनाई गई। समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे –

1. पद्मश्री डॉ. स्वामी जी.सी.डी. भारती उर्फ भारती बंधु
2. श्री उचित सूद
3. डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति

समिति का सुझाव कार्यपरिषद् की अगली बैठक मे रखा जाएगा।

प्रस्ताव क्र. 08 – सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था संबंधी प्रस्ताव।

निर्णय – सुरक्षा एवं सफाई व्यवस्था संबंधी तीन फर्मों को योग्य पाते हुए समस्त फर्मों के दर समान होने के कारण किसी एक फर्म को आदेश जारी किए जाने की अनुशंसा क्रय समिति के द्वारा की गई थी। क्रय समिति की अनुशंसा पर विचार कर समान दर वाले तीन फर्मो मे से एक फर्म श्री सिद्धि विनायक सिक्योरिटी सर्विसेस, बिलासपुर को प्रथमतः दो माह के लिए कार्यादेश दिए जाने का निर्णय लिया गया। उक्त फर्म का सुरक्षा एवं सफाई कार्य अच्छा होने पर आगे कार्य अवधि बढ़ाए जाने का निर्णय लिया जा सकेगा। सुरक्षा एवं सफाई संबंधी व्यवस्था ठीक न होने की रिपोर्ट पर समान दर वाले दूसरे फर्म जो बिलासपुर में स्थित हो उसे उन्ही दर और शर्तो पर कार्यादेश दिए जाने के संबंध में भी निर्णय लिया जा सकेगा।

प्रस्ताव क्र. 09 – सी.ए. पैनल के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत सी.ए. के नाम संबंधी पैनल में श्री संजय मिश्रा (सी.ए.) पार्टनर, में. नितेश अग्रवाल एण्ड एसोसिएट, सुभाष काम्पलेक्स, बिलासपुर,श्री रूपिन खण्डूजा (सी.ए.) बिलासपुर, श्री अमित अग्रवाल (सी.ए.) बिलासपुर, श्री नन्दन जैन रायपुर के अलावा श्री संतोष पमनानी तथा श्री सुनील जैन का नाम जोड़ते हुए पैनल अनुमोदित किया गया।

प्रस्ताव क्र. 10 – पी.स्क्वायर साल्यूशंन मथुरा (उ.प्र.) एवं प्रज्ञा पब्लिकेशन प्रा. लि. मथुरा (उ. प्र.) सत्र 2019–20 शेष देयक भुगतान संबंधी।

निर्णय – पेज संख्या को चेक करा भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव क्र. 11 – शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिए मुद्रित पाठ्यपुस्तको के देयक भुगतान संबंधी।

निर्णय – विश्वविद्यालय द्वारा पी.स्क्वायर साल्यूशन मथुरा (उ.प्र.) को दिए गए कार्यादेश पर प्रदाय किए गए पाठ्यपुस्तको शैक्षणिक सत्र (2020–21) का भौतिक सत्यापन करा पेज संख्या चेक करा 90% कुल भुगतान राशि से भुगतान किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। 10% रोकी गई भुगतान की राशि कार्यपरिषद् की बैठक में रख पुनः स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाए।

कार्यपरिषद् के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार संत कबीर जी पर एक सेमिनार अक्टूबर माह में आयोजित की जाए। सेमीनार का प्रस्तावना डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति प्रस्तुत करेंगे।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त हुई।

1.7.2020

(बंश गोपाल सिंह)
कुलपति / अध्यक्ष

(इंदु अनंत)
कुलसचिव / सचिव

पृ. क्रं. 446 / का.प. / बैठक / 2020, बिलासपुर, दिनांक 01/07/2020

प्रतिलिपि –

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)।
2. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. सम्माननीय सदस्यगण –
3.1 प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, मानविकी अध्ययन विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।
3.2 श्री संतराम नेताम, उपाध्यक्ष, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण, हर्रा पड़ाव नगर, पंचायत केशकाल, जिला कोण्डागांव (मो. नं. 8959966666)।
3.3 उपाध्यक्ष, सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण, आयुक्त कार्यालय परिसर, संभाग सरगुजा, अंबिकापुर।
3.4 श्री भावेश दुबे, संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर, सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित।
3.5 श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर।
3.6 सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मंत्रालय, नवा रायपुर।
3.7 सचिव, छ.ग. शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर।
3.8 पद्मश्री डॉ. जी.सी.डी. भारती उर्फ भारती बंधु, बूढ़ा तालाब के पास, वीरभद्र नगर, रायपुर (छ.ग.)।
3.9 श्री प्रफुल्ल शर्मा, चौबे कॉलोनी, सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.)।
3.10 श्री उचित सूद, होटल सेन्ट्रल पॉइन्ट, शिव टॉकिज चौक, बिलासपुर (छ.ग.)।
3.11 डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति, सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग), पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर।

की ओर कार्यवाही–विवरण आपके अवलोकन एवं बहुमूल्य सम्मति हेतु प्रेषित है।

4. निज सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव के सूचनार्थ।
5. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. संबंधित विभाग प्रमुखों .... को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्य परिषद् में लिये गये निर्णयों पर विभागीय कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कर पालन–प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।
7. नस्ती हेतु।

कुलसचिव